This question paper contains 16 printed pages)

Your Roll No. .....

5850

## LL.B./IV Term

 $\mathbf{C}$ 

Paper LB-401: CONSTITUTIONAL LAW-II

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :-इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any Five questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- 1. (a) Article 12 winds up the list of authorities falling within the definition of State by referring to "other authorities" within the territory of India or under the control of the Government of India. What are these other authorities? Explain with the help of judicial pronouncements.
  - (b) Petitioner guilty of publishing pamphlet without the authority required under Press (Emergency Powers)

    Act, 1931. Prosecution started against him. During pendency of prosecution Constitution of India came into force on 26 Jan. 1950. Petitioner raised contention that Act of 1931 is void being inconsistent with

Article 19(1)(a) of the Constitution and case against him could not proceed. He filed writ petition in the High Court claiming quashing of proceedings against him. Decide with the help of decided cases and constitutional provisions.

(a) अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली प्राधिकारों की सूची का परिसमापन भारतीय क्षेत्र के अन्तर्गत या भारत सरकार के नियन्त्रण में "अन्य प्राधिकारों" का जिक्र करते हुये करता है। ये अन्य प्राधिकार क्या हैं ? निर्णीत वार्दों के आधार पर व्याख्या कीजिये। (b) प्रार्थी प्रैस (इमरजेन्सी पॉवर) एक्ट, 1931 के अन्तर्गत अपेक्षित अधिकार के बिना पर्चा छापने का दोषी था। उसके विरुद्ध अभियोजन शुरू हुआ। अभियोजन की विचाराधीनता के दौरान भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। प्रार्थी ने दावा किया कि 1931 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से असंगत होने की वजह से शुन्य है एवं उसके विरुद्ध मुकदमा आगे नहीं बढ सकता। उसने वाद को अभिखंडित करने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। निर्णीत वादों व संविधान के उपबन्धों के आधार पर निर्धारित कीजिये।

- 2. Discuss the following based on decided cases: 20
  - (a) Whether backward classes can be identified on the basis of and with reference to caste alone?
  - (b) Whether Article 16 permits reservation in the matter of promotion ?
  - (c) Whether Clause (4) of Article 16 is an exception to Clause (1) of Article 16 ?
  - (d) Whether reservations are anti maritarian?
  - निम्नलिखित की निर्धारित वादों के आधार पर विवेचना कीजिये :
  - (a) क्या पिछड़ी जाति की पहचान केवल जाति केआधार एवं सम्बन्ध में हो सकती है ?

- क्या अनुच्छेद 16 पदोन्नति के मामले में आरक्षण (b) की अनुमति देता है ?
- (c) क्या अनुच्छेद 16 उपबन्ध (4), अनुच्छेद 16 उपबन्ध(1) का अपवाद है ?
- (d) क्या आरक्षण योग्यता के विरुद्ध (ऐन्टी-मेरिटेरियन) き?

3.

"The principle of equality under Article 14 does not mean that every law must have universal application to all persons who are not by nature, attainment or circumstances in the same position." Elaborate the above statement and also discuss the guiding principles for classification between two types of offences for trial by special Courts.

''अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत बराबरी के सिद्धान्त का यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक विधि हर व्यक्ति पर, जो कि स्वभाव, योग्यता, परिस्थितियों में एकसमान नहीं हैं, सार्विक प्रयुक्ति होगी।'' उक्त वक्तव्य की विवेचना कीजिये एवं विशेष न्यायालय के द्वारा दो प्रकार के अपराधों के मध्य में जाँच के लिये वर्गीकरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

4. (a) "The freedom of speech and expression is not only in
the volume of circulation but also in the volume of
news and views. The press has the right of free
propagation and free circulation without any

previous restraint." Critically analyse the above statement in view of constitutional provisions and judicial pronouncements.

- (b) Whether the permission to uplink to the foreign satellite,

  the signals created by the CAB/BCCi, either by itself
  or through its agency, can be refused except on the
  grounds stated in the law made under Article19(2).

  Discuss.
  - (a) "वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य केवल वितरण की मात्रा में ही नहीं बल्कि समाचारों एवं विचारों की मात्रा में भो है। प्रैस को बिना किसी पूर्व बाधा

- के मुफ्त प्रचार एवं मुफ्त वितरण का भी अधिकार
  है।'' संविधान के उपबन्धों एवं न्यायिक निर्णयों के
  आधार पर उक्त वक्तव्य की विवेचना कीजिये।
- (b) क्या CAB/BCCI द्वारा उत्पादित सिग्नल्स (signals) को विदेशी सैटेलाइट से जोड़ने की अनुमित को या तो खुद या अपनी शाखा के द्वारा, अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत विधि के आधारों के अलावा, मना किया जा सकता है ? विवेचना कीजिये।
- 5. "The word law in the expression procedure established by law in Article 21 has been interpreted to mean in Maneka Gandhi Vs. Union of India (AIR 1978 SC 597) that the law

must be right, just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive." Elaborate with the help of constitutional provisions and decided cases.

''विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अभिव्यक्ति में शब्द विधि की मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (AIR 1978 SC 597) में इस अर्थ में व्याख्या की गई है कि विधि को सही, न्यायसंगत एवं निष्पक्ष होना चाहिये न कि स्वेच्छाचारी, अवास्तविक या अत्याचारी।'' संविधान के उपबन्धों व निर्णीत वादों के आधार पर विवेचना कीजिये।

6. (a) As a step towards social reform, the Government of

Tamil Nadu proposed to abolish hereditary principle of

by amending Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable
Endowments Act, 1959. Amendments challenged on the
ground that by doing so State is interfering with the
religious practices of Saivite and Vaishnavite temples.

Decide the validity of proposed amendments.

(b) Children expelled from the school for not singing

National Anthem during morning assembly of the school.

Writ petition filed by their father challenging the validity

of expulsion order on ground that children desist from

actual singing because of their honest belief and

join any rituals except it be in their prayers to their God. Decide, whether they are entitled to any protection under the provisions of the Constitution.

(a) समाज सुधार की दिशा में एक कदम लेते हुये
तिमलनाडु सरकार ने तिमलनाडु हिन्दू रिलीजियस
एण्ड चैरिटेबिल एन्डोमेन्ट्स एक्ट, 1959 (Tamil Nadu
Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1959)
में संशोधन द्वारा हिंदू मंदिरों में सभी पदधारकों की
नियुक्ति में वंशानुगत. सिद्धान्त को समाप्त करने का
सुझाव दिया। संशोधनों का इस आधार पर विरोध

किया गया कि ऐसा करके राज्य शैव (Saivite) एवं वैश्नव (Vaishnavite) मंदिरों के धार्मिक रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रस्तावित संशोधनों की वैधता निर्धारित कीजिये।

(b) स्कूल की प्रात:कालीन सभा में राष्ट्रगान न गाने की वजह से बच्चों को स्कूल से निष्कासित कर दिया। उनके पिता ने निष्कासन आदेश की वैधता को चुनौती देते हुये इस आधार पर रिट याचिका दाखिल की कि बच्चों ने वास्तव में गाने का विरोध अपने सच्चे विश्वास व दृढ़ धारणा के कारण किया कि उनका धर्म अपने भगवान की प्रार्थना के अलावा

किसी धार्मिक कृत्य में शामिल होने की अनुमित नहीं देता। निर्धारित कीजिये कि क्या वे संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत संरक्षण के अधिकारी हैं ?

7. Discuss, whether the minority and non-minority educational institutions stand on the same footing and the same rights under the provisions of the Constitution. Also discuss whether the State can regulate the functioning of minority educational institution under the Constitution?

क्या अल्पसंख्यक व गैर-अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को संवैधानिक उपबन्धों के आधार पर समान स्थिति एवं समान अधिकार प्राप्त हैं, विवेचना कीजिये। इसकी भी विवेचना कीजिये कि क्या राज्य संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को कार्यप्रणाली को नियमित कर सकता है ?

8.

cases.

After pronouncement of the Doctrine of basic structure in Keshava Nanda Bharti 1's. State of Kerala (AIR 1973 SC 1461), is it permissible for Parliament under Article 31-B of the Constitution, to immunise legislations by inserting them into the Ninth Schedule of the Constitution, if so, then what is the extent of judicial review in context of amendment in the Ninth Schedule? Discuss with the help of decided केशव नन्द भारती **खनाम** केरल राज्य (AIR 1973 SC 1461)

में मूलभूत संरचना (basic structure) के सिद्धांत की

उद्घोषणा के बाद क्या संविधान के अनुच्छेद 31-B के

अन्तर्गत संसद के लिये विधान को नवीं अनुसूची में रख

कर प्रतिरक्षित करना उचित है, अगर है तो नवीं अनुसूची

में संशोधन के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या

सीमा है ? निर्णीत वादों के आधार पर विवेचना कीजिये।